


16/02/26

पत्रावली वेबसाइट पर अपील दर्ज है। अपीलकर्ता अपीलानुसार उपस्थित।
 पीरवाट सरकार उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार राहुल
 इस आशय की प्राप्त हुई की गाँव पर अतिक्रमण
 करा जाएगा / अतिक्रमण हटा लिया गया है। अतः
 प्रकरण की चलावट का कोई औचित्य नहीं रह
 जाने से अपीलानुसार अपील खारिज की
 जाती है। पत्रावली फैसल सुमाद दीकर खसिल
 इफतल ही।


 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 तालसोट (बीसा)